"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2011—भाद्र 25, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्रमांक ई-01-12/2010/एक/2.—श्री सुनिल कुमार, भा.प्र.से. (1979), को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नत करते हुये अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री सुनिल कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से. (1977), अपर मुख्य सचिव, वन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

3. श्री सुनिल कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. राउत, भा.प्र.से. (1984), प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल केवल प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रभार से मुक्त होंगे.

4. श्री सुनिल कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-2007 के नियम-9 (1) के तहत अपर मुख्य सचिव के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II-ए में सम्मिलित भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 4-4/2011/23.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2), धारा 6 की उप-धारा (1) तथा धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-9/2007/23/वियो, दिनांक 8 नवम्बर 2007 के अतिरिक्त, सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिकारियों को, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर, क्रमशः कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार, सहायक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार, संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार, सहायक मुख्य रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार नियुक्त करती है. ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी होंगी.

सारणी

स. क्र. (1)	अधिकारी (2)	पद (3)	अधिकारिता (4)
1.	संभागीय आयुक्त	संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	उनके राजस्व संभाग के भीतर
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सहायक अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	उनके राजस्व जिले के भीतर
3.	संयुक्त संचालक, (जीवनांक) आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
4.	सहायक संचालक, (जीवनांक) आर्थिक सांख्यिकी संचालनालय	सहायक मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
5.	राज्य के 30 या इससे अधिक बिस्तर वाले समस्त शासकीय चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी.	रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)	संस्थागत जन्म, मृत्यु एवं मृत जन्म के लिये उनके अधीनस्थ चिकित्सालय.

No. F 4-4/2 11/23.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4, sub-section (1) of Section 6 and sub-section (1) of Section 7 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (No. 18 of 1969) and in addition to this Department's Notification No. 4-9/2007/23/F & P dated 8th November 2007, the State Government hereby appoints the following officers as specified in the column No. (2) as Divisional Chief Registrar, Assistant Additional Chief Registrar, Joint Chief Registrar, Assistant Chief Registrar and Registrar respectively as specified in the column No. (3) within the jurisdiction as specified in the column No. (4) of the Table given below to strengthen the Civil Registration System. These appointments will take effect from the issuing date of this Notification.

TABLE

S. No. (1)	Officer (2)	Post (3)	Jurisdiction (4)
1.	Divisional Commissioner	Divisional Chief Registrar (Births and Deaths)	Within their Revenue Division.
2.	Chief Executive Officer District Panchayat.	Assistant Additional Chief Registrar (Births and Deaths)	Within their Revenue District
3.	Joint Director (vital) Directorate of Economics and Statistics.	Joint Chief Registrar (Births and Deaths)	Whole State of Chhattisgarh
4.	Assistant Director (vital) Directorate of Economics and Statistics.	Assistant Chief Registrar (Births and Deaths)	Whole State of Chhattisgarh
5.	Officers in charge of all Government Hospitals in the state having 30 or more beds.	Registrar (Births and Deaths)	Within their Hospital, for institutional Births, Deaths and still Births.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 4-4/2011/23.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का सं. 18) की धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका तथा ग्राम कोटवारों को उनके कार्यक्षेत्र की सीमा के भीतर घर में हुए जन्म और मृत्यु की घटनाओं के पंजीकरण के लिये, आगामी आदेश तक सूचनादाता नियुक्त करती है. ये नियुक्तियां, इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावी होंगी.

No. F 4-4/2011/23.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 8 of the Registration of Births and Deaths Act, 1960 (No. 18 of 1969), the State Government, heerby appoints the Anganbadi Workers, Anganbadi Assistants and Gram Kotwars of Rural area as notifier till the next order, within the limits of their working area for the registration of births and deaths occurred in home. These appointments will take effect from the issuing date of this Notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-4/2009/11/(6).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि जनहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है.

अत: एतद्द्वारा "औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-4 की कंडिका 8 (1) ख एवं टीप " में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-4 की कंडिका 8-औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू-आवंटन सेवा शुल्क की उप कंडिका (1) ख एवं टीप :— उल्लेखित शब्द 20% को पुनरीक्षित करते हुये 10% किया जाता है.

उपरोक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3224 को दिनांक 23-06-2011 से दिनांक 30-11-2011 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 3-97/राजस्व-2/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मुद्रण तथा लेखन सामग्री (गैर तकनीकी) सेवाओं में चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती के तरीके तथा विस्तार को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ .—**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ मुद्रण तथा लेखन सामग्री चतुर्थ श्रेणी (गैर तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2011 कहलायेंगे.

(2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना.—** ये नियम अनुसूची-एक एवं दो के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, भर्ती का तरीका, आयु सीमा और अन्य विषय अनुसूची-एक के कॉलम (5) से (6), अनुसूची-दो के कॉलम (4) से (5), अनुसूची-तीन के कॉलम (4) से (7) एवं अनुसूची-चार के कॉलम (3) से (5), में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होंगे.

4. **आरक्षण.—**

(1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा.

(3) महिलाओं के लिए आरक्षण,— महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (लोक सेवा एवं पदों में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

5. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों में की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, के कुटुम्ब के किसी एक सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो, के लिये उपबंधित आरक्षण तथा शिथिलीकरण को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर बनाये गये नियमों अथवा जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित होगी.

6. **निरसन तथा व्यावृत्ति.—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं,

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहलानी, उप-सचिव.

अनुसूची-एक

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	इश्यू चेकर	02	छत्तीसगढ़ मुद्रण तथा लेखन सामग्री अधीनस्थ (चतुर्थ श्रेणी तकनीकी संवर्ग)	4750-7440	1400	संचालक शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ रायपुर	
2.	भृत्य	06		4750-7440	1300		
3.	हमाल	09		4750-7440	1300		
4.	इन्फीरियर	10		4750-7440	1300		
5.	स्वीपर	07		4750-7440	1400		
6.	पैकर	02		4750-7440	1300		
7.	चौकीदार	10		4750-7440	1300		

अनुसूची-दो

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा देखिये नियम 6 (क)	पदोन्नति द्वारा देखिये नियम 6 (ख)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	इश्यू चेकर	02	–	100%	
2.	भृत्य	06	100%	–	
3.	हमाल	09	100%	–	
4.	इन्फीरियर	10	100%	–	
5.	स्वीपर	07	100%	–	
6.	पैकर	02	100%	–	
7.	चौकीदार	10	100%	–	

अनुसूची-तीन

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पद का नाम	न्यूनतम आयु	उच्चतर आयु सीमा		विहित शैक्षणिक अर्हता
				छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए	अन्य के लिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ रायपुर.	(चतुर्थ श्रेणी गैर तकनीकी सेवा)	इश्यू चेकर	18 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
		भृत्य	18 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
		हमाल	18 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
		इन्फीरियर	18 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
		स्वीपर	18 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
		पैकर	18 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
		चौकीदार	18 वर्ष	35 वर्ष	30 वर्ष	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

अनुसूची-चार

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	कॉलम (4) के पद में पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिए कॉलम (2) के पद में सेवा की अवधि	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़.	भृत्य/इन्फीरियर/पैकर/चौकीदार/हमाल	5 वर्ष	इश्यू चेकर	(1) संयुक्त संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री (2) संयुक्त संचालक/संयुक्त संचालक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री. (3) सहायक संचालक, शासकीय प्रेस (वरिष्ठतम)

Raipur, the 3rd September 2011

No. F 3-97/राजस्व-2/2009.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules to regulate the method and scope of recruitment to the Class-IV service in the Chhattisgarh Printing and Stationery (Non-Technical) Service, namely:—

RULE

1. **Short title and commencement.—**
   (1) These rules may be called The Chhattisgarh Printing and Stationery Class-IV (Non-Technical) Service Recruitment Rules, 2011.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (3) of the Schedule-I and II.

3. **Classification and Scale of Pay etc.—** The classification of the service, the number of posts included in the service, and the scale of pay attached thereto, method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with the provisions contained in column (5) to (6) of the Schedule-I, Column (4) to (5) of Schedule-II, Column (4) to (7) of Schedule-III and Column (3) to (5) of Schedule-IV.

4. **Reservation.—**
   (1) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No.21 of 1994).

   (2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rules, 2003.

   (3) Reservation for women.— Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women in Public Service and Posts) Rules, 1997.

5. **Saving.—** Nothing in these rules shall effect reservation and relaxation provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, for Ex-serviceman, compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees who dies during service period, handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Repeal and Saving.—** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

   Provided that any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
P. NIHALANI, Deputy Secretary.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name of Post included in the service	Number of posts	Classification	Pay-Scale	Grade Pay	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Issue Checker	02	Chhattisgarh Printing and Stationery subordinate (Class-IV Technical Cadre)	4750-7440	1400	Director, Government Printing and Stationery, Chhattisgarh, Raipur.	
2.	Peon	06		4750-7440	1300		
3.	Hammal	09		4750-7440	1300		
4.	Inferior	10		4750-7440	1300		
5.	Sweeper	07		4750-7440	1400		
6.	Packer	02		4750-7440	1300		
7.	Chowkidar	10		4750-7440	1300		

SCHEDULE-II

Sl. No.	Name of Post included in the service	No. of total Posts	Percentage of the Number of Duty Posts to be filled in		Remarks
			by direct recruitment See rule 6 (a)	by Promotion See rule 6 (b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Issue Checker	02	-	100%	
2.	Peon	06	100%	-	
3.	Hammal	09	100%	-	
4.	Inferior	10	100%	-	
5.	Sweeper	07	100%	-	
6.	Packer	02	100%	-	
7.	Chowkidar	10.	100%	-	

SCHEDULE-III

Name of the Department	Name of service	Name of Post in service	Minimum Age Limit	Upper age limit for residents of Chhattisgarh State	Upper age limit For others	Educational Qualification Prescribed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Government Printing and Stationery, Chhattisgarh Raipur.	(Class-IV) Non-Technical service	Issue Checker	18 years	35 years	30 years	should have pass 5th class.
		Peon	18 years	35 years	30 years	should have pass 5th class.
		Hammal	18 years	35 years	30 years	should have pass 5th class.
		Inferior	18 years	35 years	30 years	should have pass 5th class.
		Sweeper	18 years	35 years	30 years	should have pass 5th class.
		Packer	18 years	35 years	30 years	should have pass 5th class.
		Chowkidar	18 years	35 years	30 years	should have pass 5th class.

SCHEDULE-IV

Name of Department	Name of the Post from which promotion is to be made.	Length of service of the post in column (2) eligible for promotion to the post in column (4)	Name of the Post on which to be promoted	Name of the members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Government Printing and Stationery, Chhattisgarh.	Peon/Inferior/ Packer/ Chowkidar/ Hammal	5 years	Issue Checker	(1) Joint Director, Printing and Stationery. (2) Joint Director, Joint Director, Govern- Government Printing and Stationery (3) Assistant Director, Government Press (Senior most).

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 जुलाई 2011

रा. प्र. क्र. /14/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	खोन्धला	2.222	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-01, अंबिकापुर.	गेरुआ नाला जलाशय योजना के व्यपवर्तन तथा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 29 जुलाई 2011

रा. प्र. क्र./15/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	जरहाडीह	0.101	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, अम्बिकापुर.	रघुनाथपुर - असकला मार्ग पर गागर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 29 जुलाई 2011

रा. प्र. क्र./16/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	कुन्दीकला	0.323	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, अम्बिकापुर.	कुन्दीकला - अमलीघाट मार्ग पर गागर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 29 जुलाई 2011

रा. प्र. क्र./17/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	गुमगराकला	0.368	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, अम्बिकापुर.	गुमगरा-कटकोना मार्ग पर चंदनई सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. **धनन्जय,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	सातधार प. ह. नं. 38/17	22	0.15	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	टारबंद योजना हेतु
			31/5	0.05		
			31/9	0.04		
			31/10	0.04		
			48/1	0.11		
			49/3	0.05		
			49/4	0.02		
			112	0.08		
		योग	**8**	**0.54**		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2011

क्रमांक-क/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 1/अ/82/2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	अमलकुण्डा प. ह. नं. 25	1028	0.024	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	चिचिरदा ताराशिव मार्ग पर खोरसी नाला में निर्माणाधीन पुल के अमलकुण्डा में पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.
			1027/1	0.015		
			1027/2	0.009		
			1026/3	0.015		
			1030/1	0.057		
			1031	0.040		
			1032	0.148		
			1033	0.172		
			1034/1	0.024		
			1034/2	0.036		
			1034/3	0.040		
			1034/4	0.045		
			1035	0.048		
			1036	0.004		
		योग	**14**	**0.677**		

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2011

क्रमांक-क/अविअ/भू-अर्जन/प्र.क्र. 2/अ/82/2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	कसियारा प. ह. नं. 27	57	0.061	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	चिचिरदा ताराशिव मार्ग पर खोरसी नाला में निर्माणाधीन पुल के कसियारा में पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.
			58	0.142		
			61	0.177		
			62/1	0.008		
			60/376	0.146		
		योग	**5**	**0.534**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 1 सितम्बर 2011

क्रमांक/5526/भू-अर्जन/प्र.क्र./03/अ-82/वर्ष/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-आनंदगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.37 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	66	0.03
	201	0.04
	200	0.05
	208	0.04
	209	0.03
	100/2	0.03
	101	0.06
	102	0.03
	1	0.06
योग	9	0.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आनंदगांव जलाशय के अन्तर्गत नहर में भूमि अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निराकरण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक/6294/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-टाकुरटोला, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.07 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	651/1	0.08
	651/2	0.08
	651/3	0.08
	651/4	0.08
	644/1	0.05
	644/2	0.09
	645	0.12
	646	0.13
	648	0.13
	652/10	0.05
	652/11	0.08
	649/3	0.10
योग	12	1.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टाकुरटोला एनीकट के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक/6295/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोलेन्द्रा, प. ह. नं. 64/3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.63 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
343	0.23
335	0.40
योग 2	0.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ठाकुरटोला एनीकट के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक/6296/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मासूलकसा, प. ह. नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.536 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
116	0.506
118	0.161
337/2	0.421
309/1	1.011
317	1.011
315/6	0.081
318	0.161
319	0.445
320	0.020
457	0.999
323	0.081
324	0.020
306/6	0.060
306/5	0.445
329	0.129
330	0.445
332	0.485
333	0.161
343	0.040
334	0.320
335	0.320
337/1	0.283
337/3	0.202
329	0.020
342	0.081
340	0.405
341	0.300
458/2	0.120
470/1	0.267
470/2	0.303
473	0.012
328	0.129
338	0.040
114	0.004

	(1)	(2)
	306/7	0.048
योग	35	9.536

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ परियोजना के दायीं तट फीडर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 सितम्बर 2011

क्रमांक/6297/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-राजनांदगांव
 (ख) तहसील-छुईखदान
 (ग) नगर/ग्राम-दुल्लापुर, प. ह. नं. 10
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1/2	0.11
योग	1	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करांनाला बैराज परियोजना के अंतर्गत दुल्लापुर वितरक नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम अधिकारी अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ. ग.)

अंबिकापुर, दिनांक 12 अगस्त 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 17/अ-67/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-प्रेमनगर, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सरगुजा से परिवहन हेतु ग्राम रघुनाथपुर, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सरगुजा तक मेसर्स इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	1223	0.043
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	1228	0.041
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	1235	0.024
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	1236	0.071
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	1336	0.053
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	1349	0.031
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	1350	0.007
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	1352	0.014
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	1353	0.034
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	1354	0.005
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	1355	0.150
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	1357	0.048
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	1358/2	0.024
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	1361	0.053
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	1362	0.007
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2841	0.007
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2849	0.024
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2850	0.024
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2852	0.022
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2854	0.036
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2857	0.048
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2858	0.034
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2860/4	0.007
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2869	0.012
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2870	0.001
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2871	0.017
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2904/2	0.024
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2905	0.024
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2956	0.120
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2957	0.024
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2958	0.017
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2959	0.007
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2961	0.029
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2962	0.012
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2967/3	0.012
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2974	0.017
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2977	0.037
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2982	0.034

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2986	0.072
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2990	0.012
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2995	0.036
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	2996	0.024
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	3063	0.091
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	3103	0.029
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	3104/2	0.070
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	3105	0.029
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर/13	3109/2	0.024
			योग	**1.581**

अंबिकापुर, दिनांक 12 अगस्त 2011

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 18/अ-67/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-प्रेमनगर (बोइरडांड), तहसील-प्रेमनगर, जिला-सरगुजा से परिवहने हेतु ग्राम रघुनाथपुर, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सरगुजा तक मेसर्स इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर (बोइरडांड)/13	3269	0.034
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर (बोइरडांड)/13	3270	0.038
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर (बोइरडांड)/13	3272	0.036
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर (बोइरडांड)/13	3274	0.031
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर (बोइरडांड)/13	3293	0.037
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर (बोइरडांड)/13	3295	0.041

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर (बोइरडांड)/13	3296	0.038
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर (बोइरडांड)/13	3298	0.132
सरगुजा	प्रेमनगर	प्रेमनगर (बोइरडांड)/13	3299	0.036
			योग	**0.423**

अंबिकापुर, दिनांक 12 अगस्त 2011

प्रारूप-ख
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक 19/अ-67/2010-11.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-रघुनाथपुर, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सरगुजा से परिवहन हेतु ग्राम रघुनाथपुर, तहसील-प्रेमनगर, जिला-सरगुजा तक मेसर्स इफको छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए,

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	134	0.041
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	32	0.017
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	133	0.053
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	158	0.290
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	46	0.007
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	159/1	0.017
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	151	0.029
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	162	0.020
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	172	0.036
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	183	0.012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	185	0.017
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	187	0.007
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	45	0.029
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	47	0.024
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	35	0.019
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	33	0.019
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	157	0.007
सरगुजा	प्रेमनगर	रघुनाथपुर, प.ह.नं.-79	31	0.007
			योग	**0.418**

एच. एल. नायक,
सक्षम प्राधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 16th August 2011

No. 4620/CSJA/Inst. Trg. (FS)/ADJ 2011/11.—The following newly appointed Additional District & Sessions Judge, 2011 Batch as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report at the Chhattisgarh State Judicial Academy, (CSJA), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 19-09-2011, at 9.00 A.M. for undergoing the Institutional Training-Fundation Course (Final Stage) scheduled to be held from 19th September, 2011 to 30th September, 2011.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Addl. District & Sessions Judge (2)	Posted as & at (3)
1.	Shri Sirajuddin Qureshi	V Additional District & Sessions Judge, Durg
2.	Smt. Pragya Pachouri	VI Additonal District & Sessions Judge, Raipur
3.	Shri Alok Kumar	Additional District & Sessions Judge, Raipur
4.	Shri Yogesh Pareek	II Additional District & Sessions Judge, Baloda-Bazar
5.	Shri Uttara Kumar Kashyap	VI Additional District & Sessions Judge, Bilaspur
6.	Shri Govind Narayan Jangde	Additional District & Sessions Judge, Bilaspur
7.	Shri Brijendra Kumar Shastri	VI Additional District & Sessions Judge, Durg.

The abovementioned District Judges (Entry Level) on probation are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

1. Civil Procedure Code (annotated)
2. Criminal Procedure Code
3. Indian Penal Code
4. The Evidence Act (annotated)
5. The Motor Vehicles Act
6. The Limitation Act (annotated)
7. The Court Fees Act (annotated)
8. The Stamp Act (annotated)
9. The Accommodation Control Act
10. Rules & Orders (Civil & Criminal)
11. The Forms and Stationery Rules

Bilaspur, the 18th August 2011

No. 71/II-14-1/2011 (Pt.-III).—In continuation of order No. 60/II-14-1/2011 (Pt.-III) dated 04th August, 2011, it is further ordered that the promotion granted to Shri C. S. Chouhan, Shri N. K. Kanungo & Shri Ashesh Shrivastava, Section Officers of this Registry, to the post of Assistant Registrar, is proforma promotion, in officiating capacity for a period of two years.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
ARVIND SHRIVASTAVA, Registrar General.